

(250/- के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य-शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष 2025 में आयोजित M.E.E.T.P.G. प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र 2025 में सीट आबंटित की गई है।
3. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।
4. यह कि वर्ष 2025 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....^{RULE-801/2025/2025-MED} रायपुर दिनांक 06 Nov 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 1.5 जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भलीभाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम के सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
5. मैं एतद्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त, राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में, शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरी प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....की चल व अचल संपत्ति संपत्ति का विवरण (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रुपयेशब्दों में (रुपए.....) भवन/मकान होने पर कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण उसका स्वरूप, पता एवं अनुमानित मूल्य लिखें। छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात्, मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जायेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।
9. एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना, विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि छ.ग. शासनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं होता है, तो यह बंधपत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

गवाह : -

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

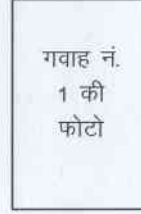
2.....हस्ताक्षर



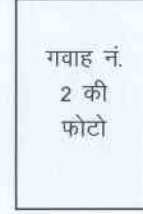
आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 01



गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में, बन्धपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)